

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का उपयोग

प्रलिस के लिये:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, न्यायिक सक्रियता, मौलिक अधिकार, न्यायिक अंतरिक

मेन्स के लिये:

अनुच्छेद 142 का महत्त्व, भारत में न्यायिक सक्रियता की वैधता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम जारी किये गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 को कार्यान्वयित करते हुए चुनाव के परिणाम रद्द कर दिये जिसके परिणामस्वरूप यह चर्चा का विषय बन गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग क्यों किया?

- सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में न्याय सुनिश्चित करने और निर्याचन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिये अनुच्छेद 142 कार्यान्वयित किया।
 - पीठासीन अधिकारी के अवैध आचरण के परिणामस्वरूप निर्याचन प्रक्रिया में अनियमितताएँ हुईं जिसमें अधिकारी ने प्रतद्वंद्वी के पक्ष में प्राप्त आठ मतों को अमान्य कर विजिता की घोषणा की जिसके कारण गलत विजिता की घोषणा हुई।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

- **सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाना:**
 - अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी मामले अथवा वाद में **पूर्ण न्याय** करने के लिये आवश्यक कोई भी डिक्री अथवा आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
 - ये डिक्री अथवा आदेश न्यायिक हस्तक्षेप के लिये महत्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि इन्हें भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयित किया जा सकता है।
- **वधिकि सीमाओं से अतिरिक्त शक्ति:**
 - अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को इसमें शामिल सभी पक्षों के लिये न्याय सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा वधियों अथवा वधिकि के दायरे से परे जाकर न्यायिक हस्तक्षेप करने का प्रावधान करता है।
 - यह न्यायालय को आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारी और वधियी भूमिकाओं सहित निर्णय से परे कार्य करने में सक्षम बनाता है।
 - कई अन्य कानून जैसे कि अनुच्छेद 32 (जो **संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी** देता है), अनुच्छेद 141 (जिसके लिये सभी भारतीय न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना आवश्यक है) तथा अनुच्छेद 136 (जो विशेष अनुमति याचिका की अनुमति देता है), अनुच्छेद 142 को समर्थन प्रदान करते हैं।
 - इस सामूहिक ढाँचे को **“न्यायिक सक्रियता”** शब्द से जाना जाता है। इस विचार के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने **“पूर्ण न्याय”** प्रदान करने के लिये प्रायः संसदीय कानूनों को खारज कर दिया है।
- **सार्वजनिक हित के मामलों में हस्तक्षेप करना:**
 - यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक हित, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों अथवा मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में **हस्तक्षेप** करने का अधिकार देता है।
 - यह संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायालय की भूमिका को सुदृढ़ करता है और साथ ही उल्लंघनों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करने वाले निर्णय:**
 - यूनिन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1991):

- सर्वोच्च न्यायालय ने UCC को भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिये मुआवज़े में 470 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया, अनुच्छेद 142 (1) के व्यापक दायरे पर प्रकाश डाला और स्पष्ट किया कि इसकी शक्तियाँ एक भिन्न गुणवत्ता तथा वैधानिक नषिधों के अधीन नहीं हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998):
 - शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियाँ पूरक हैं और इसका उपयोग मूल कानूनों को समाप्त करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
 - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये शक्तियाँ उपचारात्मक प्रकृतिकी हैं और इनका उपयोग वादियों के अधिकारों की अनदेखी करने अथवा वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
 - ए जदिरनाथ बनाम जुबली हलिस को-ऑप हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (2006):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तिका प्रयोग करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति पर कोई अन्याय नहीं किया जाना चाहिये जो मामले में पक्षकार नहीं है।
 - कर्नाटक सरकार बनाम उमादेवी (2006):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 के तहत "पूर्ण न्याय" का अर्थ कानून के अनुसार न्याय है, न कि सहानुभूति, एवं न्यायालय ऐसी राहत नहीं देगी जो वधायी क्षेत्र में अवैधता का अतिक्रमण करती हो।
- आलोचना:
- शक्तियों के पृथक्करण का अतिक्रमण करने का जोखिम, न्यायिक सक्रियता की आलोचना को आमंत्रित करना।
 - आलोचकों का तर्क है कि अनुच्छेद 142 न्यायपालिका को पर्याप्त जवाबदेही के बिना व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से न्यायिक अतिक्रमण हो सकता है। हालाँकि ये शक्तियाँ असाधारण मामलों के लिये आरक्षित हैं जहाँ मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं।
 - न्यायालय के प्राधिकार की सीमा और वधायी या कार्यकारी डोमेन में उसके हस्तक्षेप पर विवादों की संभावना होती है।

न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
देश की कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित करने एवं नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के रूप में परभावित किया गया है।	जब न्यायपालिका अपने कानूनी प्राधिकार या अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर वधायी या कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करती है।
यह सुनिश्चित करता है कि कानून संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।	लोकतंत्र में यह अवांछनीय है क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कमज़ोर समूहों की सुरक्षा करता है।	लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है।
वशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक सक्रियता की वैधता पर प्रारणः बहस होती है।	सामान्य रूप से इसे गैरकानूनी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिये हानिकारक माना जाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतर्विष्ट प्रतषिध अथवा नषिधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांवधानिक शक्तियों पर प्रतषिध अथवा नषिधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के नषिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नषिवहन करते समय लयि गए नषिण्यों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नषिमति वधियों से बाध्य नहीं होता।
- (c) देश में गंभीर वत्तितीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बनिा वत्तितीय आपात घोषति कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य वधिनमंडल, संघ वधिनमंडल की सहमति के बनिा वधि नषिमति नहीं कर सकते।

उत्तर: b